दिनांक–25.06.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्रीमती प्रीति तोंगरिया, विशेष सचिव
   (2) श्री प्रशांत कुमार सी०एच०, निदेशक
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (5) श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव
   (6) श्री आशुतोष कुमार, Project Lead

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

**I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:–**

(क) पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक राज्य के 38 जिलों में कुल 247 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु इस माह तक निश्चित रूप से भूमि चयन करना सुनिश्चित करेंगे। जिस पंचायत में भूमि उपलब्ध नहीं है, इससे संबंधित अंचलाधिकारी एवं DCLR से प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए जिला पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट होकर विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करें।

(ख) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी बिहार के 16 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि उक्त पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है तो कारण सहित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करें। तद्नुसार इस संबंध में विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी एवं उचित निर्णय लेकर संबंधित जिलों को संसूचित किया



कृ०पृ०उ०.....

जायेगा। जिस पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य Finishing Stage पर है, उसे अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–**

**(क).** मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी चरणों को मिलाकर जिला मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी का Installation against Work Order का प्रतिशत काफी कम है। इन सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि Installation against Work Order में तेजी लाना सुनिश्चित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा में सभी DDC एवं DPRO को यह निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के उपरान्त CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि मानी जाए।

**(ख).** जिन जिलों में अधिष्ठापित सोलर लाईटों में 72 घंटों से अधिक Signal Loss एवं Fault की समस्या है, उन जिलों के DDC/DPRO को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह CMS Portal के माध्यम से समीक्षा कर बार–बार एक ही सोलर स्ट्रीट लाईट के Faulty होने की स्थिति पर जाँच के लिए लैब में भेजना सुनिश्चित करें। सभी DDC/DPRO को निदेश दिया गया कि जो एजेंसी एकरारनामा के शर्तों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे है, उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। एजेंसी द्वारा स्थापित किये गये Warehouse एवं Service Center का नियमित निरीक्षण किया जाए एवं जिलों में Warehouse एवं Service Center संचालित नहीं होने पर संबंधित DPRO पर जवाबदेही तय की जायेगी।

**(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**III. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के निम्न भुगतान की अद्यतन स्थितिः–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा काफी कम की गयी है, जो चिन्ताजनक है, जिसमें प्रगति लाने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति हेतु BPRO प्रत्येक सप्ताह सभी पंचायतों के द्वारा व्यय की गयी राशि की पंचायत सचिवों के साथ समीक्षा करेंगें एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन संबंधित DPRO को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

**लगातार.....**

DPRO पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मासिक बैठक करेंगें एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आवश्यक निदेश देंगे।

**(अनुपालनः– संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**IV. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार का अद्यतन स्थिति :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नालन्दा में 03, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर एवं सिवान में 02-02 तथा गया, कटिहार, जमुई, मुंगेर, पूर्णियां, समस्तीपुर, सारण, वैशाली एवं शेखपुरा में 01-01 MJC लंबित है। सभी CWJC/MJC मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

**(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**V. RTPS Application की जिलावार अद्यतन स्थितिः–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिलों यथा जमुई, बांका, मुंगेर, शिवहर, अरवल, लखीसराय एवं शेखपुरा में प्राप्त आवेदनों की संख्या काफी कम है, जो कि चिंताजनक है। इस सभी जिलों को पंचायत स्तरीय RTPS केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जिलाधिकारी के स्तर पर होने वाले प्रेस वार्ता/विज्ञप्ति में जानकारी दी जाए ताकि आम जनों तक इन सुविधाओं का लाभ मिल सकें। RTPS केन्द्रों की संख्या के सापेक्ष आवेदन प्राप्त नहीं होने पर उनमें क्रियाशीलता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। इसकी निरंतर Monitoring की जाए ताकि आम जनों को पंचायत सरकार भवन पर सुविधाएं प्राप्त हो सके।

**(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**VI. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–**

(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, गया, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, पटना, सिवान, दरभंगा, सारण एवं वैशाली जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**लगातार.....**

**(ख) अंकेक्षण की स्थिति :–** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलों में वर्तमान मे किये जा रहे ऑडिट ऑनलाईन एवं सी0ए0फर्मो से संबंधित अंकेक्षण में प्रगति लाते हुए अंकेक्षण कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु निदेशित किया गया। अंकेक्षण कार्यों में लापरवाही बरतने पर सभी संबंधितों पर नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। रोहतास जिला के DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछते हुए विभाग को सूचित करें। तद्नुसार इस संबंध में विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी एवं उचित निर्णय लेकर संसूचित किया जायेगा।

(ग) **C.A Audit Progress Report (FY: 2023-24)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अररिया, अरवल, बांका, शिवहर, कटिहार, भागलपुर, गया, सहरसा, भोजपुर एवं कैमूर जिलों को छोड़कर शेष जिलों का ऑडिट कार्य से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को अप्राप्त है, इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी। इन सभी जिलों को निदेशित किया गया कि C.A Firm के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऑडिट कार्य को शत–प्रतिशत करना सुनिश्चित करें एवं संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) **Status of DLFA ATR Compliance on Audit Online (MoPR) Portal for FY 2023-24** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बक्सर, गया, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, नवादा एवं जहानाबाद जिलों का ATR Compliance निम्न् है। इस सभी जिलों को निदेशित किया गया कि ATR Compliance को अविलम्ब पूर्ण करें। जिलों के द्वारा भेजे जा रहे Compliance Report निम्न् स्तर के है, इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी एवं निदेश दिया गया कि Compliance Report के स्तर को Improve करें।

**(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

**VII.** सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर संचालन पदाधिकारी के पास सभी पुराने मामलें लंबित है। संचालित पदाधिकारी से सर्म्पक कर त्वरित निष्पादन का अनुरोध करें। अभियान चलाकर अगले 08 (आठ) सप्ताह में सभी पुराने मामलों में संचालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)**

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना



लगातार.....

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/8300/पं०रा० पटना, दिनांक 02/7/2025

प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/8300/पं०रा० पटना, दिनांक 02/7/2025

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/8300/पं०रा० पटना, दिनांक 02/7/2025

प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव